

F. No. 17/110/2009-Pers /BSF/ 21119 - 21418  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
Directorate General, Border Security Force  
(Personnel Directorate)

Block No-10, 5<sup>th</sup> Floor  
CGO Complex, Lodhi Road  
New Delhi - 110 003

Dated, the \_\_\_ May, 2011


To

All Frontier HQrs BSF  
All Sector HQrs/DIsG ISD  
All BNs BSF (THQ/Bn HQ)  
All Training Institutions BSF/STCs  
CENWOSTO/TSU Tekanpur  
SIW/SRO/ATS Tekanpur  
Water Wing Bhuj (Guj)/ Madhopur(Pb)  
South Bengal (Kolkata) & Dhubri (Assam)

**Sub:- FORWARDING OF ELECTRONIC DATA PROCESSING PRINCIPAL  
SYSTEM ANALYST/DIG AND PROGRAMMER/ASSTT COMDT  
RECRUITMENT RULES, 2011.**

The Gazette Notification of Border Security Force, Electronic Data Processing Principal System Analyst/Deputy Inspector General and Programmer(Assistant Commandant) Recruitment Rules, 2011 vide GSR-335(E) dated 15.04.2011 is forwarded herewith for your information and necessary action, please.

Encl : As above

  
(D K Upadhyaya)  
Dy. Inspector General (Confdl)  
02 May, 2011

Distribution :-

1. Spl DG BSF Kolkata & Chandigarh
2. All IsG at FHQ BSF
3. PS to DG BSF/
4. PS to Addl DsG BSF
5. FA BSF HQ
6. Prov Dte/ Engg Cell
7. PAD BSF
8. Law Branch and D&L Branch, FHQ BSF
9. Water Wing/Recruitment Section/Estt Section
10. NGO's Promotion Desk - Pers Section
11. IT Wing FHQ BSF - for placing on the Web Site of the Force.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2011/वैशाख 1, 1933

No. 217]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2011/VAISAKHA 1, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2011

**सा.का.नि. 335(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन सीमा सुरक्षा बल, प्रधान तंत्र विश्लेषक/उप महानिरीक्षक और क्रमादेशक/सहायक कमाण्डेंट भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में प्रधान तंत्र विश्लेषक/ उप महानिरीक्षक और क्रमादेशक/सहायक कमाण्डेंट के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन, प्रधान तंत्र विश्लेषक/उप महानिरीक्षक और क्रमादेशक/सहायक कमाण्डेंट भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान** .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।



4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हताएं .—** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रधान तंत्र विश्लेषक/ उपमहानिरीक्षक	01* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड - 4: 37400-67000 ₹0 + ग्रेड वेतन 8900 ₹0

